न्यायालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।

सरकार बनाम राहुल

मुकदमा अपराध संख्या–170/2026
धारा–191(2),191(3),190,
109(1),115(2),बी०एन०एस०
थाना–सदर बाजार, सहारनपुर

<u>30.04.2026</u>

मुकदमा अपराध संख्या 170/2026 अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2)भारतीय न्याय संहिता थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर के अपराध के सम्बन्ध में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त **राहुल पुत्र शीशपाल** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना इस आधार पर की गई कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फॅसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी पर्याप्त जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है तत्पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आरोपित अपराध सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

सुना तथा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अवलोकन किये जाने पर विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है तत्पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण में आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति के एवं अजमानतीय है तथा सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों एवं मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर छोड़े जाने के पर्याप्त आधार नही है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना **निरस्त** किया जाता है।

(मिनाक्षी सिन्हा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहारनपुर।
J.O.CODE–UP1950